संख्या-1890/69-11-2000-1(एस0जे0)/97

प्रेषक,

श्री राम किशोर,
अनुसचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक
राज्य नागर विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश।

नगरीय रोज़गार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग, लखनऊ: दिनाँक-22 मई, 2001

विषय : **स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना की उपयोजना स्व: रोजगार प्रशिक्षण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 170/245/तीन/2001, दिनांक: 20.04.2001, जो राज्य नागर विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओ की वर्ष 2001-2002 की कार्य योजना तैयार किये जानेहेतु जनपदों को भेजे गये दिशा-निर्देशों से सम्बन्धित है, में स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के पैरा-2 में यह उल्लेख किया गया है कि स्व: रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु गैर सरकारी संगठनों का चयन किया जाये, का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 1103/69-1-2000-1(एस.जे.)/97, दिनांक 18 मार्च, 2000 द्वारा स्व:रोजगार प्रशिक्षण हेतु पूर्व में ही स्पष्ट आदेश निर्गत किये जा चुके हैं एवं गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से कोई भी कार्य कराये जाने पर प्रतिबन्ध है। अत: योजनान्तर्गत गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से कराये जाने वाले कार्यों पर होने वाला व्यय अनियमितता की श्रेणी में आयेगा, जिसके लिये जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी। कृपया शासनादेशों के अनुरूप समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश को संशोधित दिशा-निर्देश अविलम्ब भेजते हुये शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
(राम किशोर)
अनुसचिव

संख्या : /69-1-2000-1(एस.जे.)/97 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 18.03.2000 को ध्यान में रखते हुये गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से कोई भी कार्य न करायें। कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
(राम किशोर)
अनुसचिव